

प्रारूप-30.3

परियोजना का नाम- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मालकोट-कालीमाटी-सेरा-तिवाखर्क मोटर मार्ग का निर्माण। (लम्बाई 3.00 किमी०)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम _____
तहसील गैरसैण, जिला चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली के अन्तर्गत मालकोट-कालीमाटी परियोजना के निर्माण हेतु (0.070 हे० आरक्षित वन भूमि, 1.085 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.492 हे० वन पंचायत भूमि _____ हे०) अर्थात् कुल _____ हे० वन भूमि का ली० नि० वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत कालीमाटी द्वारा दिनांक 05/02/15 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम कालीमाटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ली० नि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-

ग्राम सचिव

मुहर सहित

अनापत्ति प्रमाण पत्र
मुहर सहित

ह०/-

ग्राम प्रधान/सरपंच

मुहर सहित



प्रारूप-30.4

दिनांक 05/02/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत कालीमारी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गजसिंह बिष्ट अध्यक्ष ग्राम सेवा लेवा/क	गजसिंह बिष्ट
(2)	सुरेंद्र सिंह बिष्ट ग्राम सेवा लेवा/क	सुरेंद्र सिंह बिष्ट
(3)	कचन सिंह बिष्ट	कचन सिंह बिष्ट
(4)	बालराम सिंह बिष्ट	बालराम सिंह बिष्ट
(5)	बालराम सिंह बिष्ट	बालराम सिंह बिष्ट
(6)	नमाल सिंह बिष्ट	नमाल सिंह बिष्ट
(7)	नमाल सिंह बिष्ट	नमाल सिंह बिष्ट
(8)	हिमाल सिंह बिष्ट	हिमाल सिंह बिष्ट
(9)	रजेंद्र सिंह	रजेंद्र सिंह
(10)	अवतार सिंह	अवतार सिंह
(11)	वीरेन्द्र सिंह	वीरेन्द्र सिंह
(12)	देवान सिंह	देवान सिंह
(13)	भगवत सिंह	भगवत सिंह

ह0/-

ग्राम प्रधान



भगवत सिंह
R.S.S. - Kalamari

भगवत सिंह
ग्राम पंचायत कालीमारी

प्रारूप-30.2

परियोजना विवरण :- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में मालकोट-कालीमाटी-सेरा से तिवाखरक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य हेतु 1.627 हे० का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 3.000 कि०मी०।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, गैरसैण
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण-पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, गैरसैण

उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत ~~आयपंचायत~~ कालीमाटी निवासी के मो.जे.से. हेतु
 (-~~24~~ हे० आरक्षित वन भूमि, 0.472 हे० सिविल एवं सोयम वन भूमि, 0.085 हे० वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 1.627 हे० वन भूमि) का ले. नि. वि. गैरसैण प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील गैरसैण) की दिनांक 28-02-15 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री वि. नि. वि. गैरसैण उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- | | | |
|-------------------------------|---------------------------|------------|
| 1- श्री <u>किशन सिंह नेमी</u> | उपजिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- श्री <u>सुरेन्द्र ताल</u> | उप प्रभागीय वनाधिकारी | सदस्य |
| 3- श्री <u>सुरेन्द्र ताल</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव |
| 4- श्री <u>बी०डी०बी०</u> | बी०डी०बी० क्षेत्र | सदस्य |
| 5- श्री <u>गोविन्द सिंह</u> | उपखण्ड स्तरीय समिति | सदस्य |

अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में आरक्षित वनवासी के मो.जे.से. हेतु परियोजना हेतु 1.627 हे० वन भूमि

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, _____ द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

वि. नि. वि. गैरसैण बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड गैरसैण परिक्षेत्र के अन्तर्गत मालकोट कालीमाटी सेरा परियोजना के निर्माण हेतु 1.627 हे० वन भूमि ले. नि. वि. गैरसैण प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- गैरसैण
 जनपद- चमोली

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
 तहसील- गैरसैण
 जनपद- चमोली

प्रारूप-30

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No-----

Dated 13-03-15


TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.627 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gairsain for construction of Malkot-Kalimati-Saira-Tiwakhark motor road in Chamoli district falls within jurisdiction of Kalimati, Saira and Tiwakhark villages in Gairsain tehsil.

It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.627 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.


जिलाधिकारी
Signature

(Full name and official seal of the District Collector)

64

51

FORM-II
(for projects other than linear projects)
Government of Uttarakhand Office of the District Collector Chamoli

No--- --

Dated-19-03-15


To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guide lines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that 1.627 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of PWD Gairsain for construction of Malkot-Kalimati-Saira-Tiwakhark motor road in Chamoli district falls within jurisdiction of Kalimati, Saira and Tiwakhark village in Gairsain tehsil. It is further certified that:

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.627 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Grama Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- (c) the each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. a copy of certificate issued by the gram sabha of Kalimati, Saira and Tiwakhark villages is enclosed.
- (d) the discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- (e) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- (f) the rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e) of the FRA

Eucl: As above.





(Full name and official seal of the District Collector)

प्रा.प-30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT CHAMOLI (U.K.)


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr. Ashok Kumar I.A.S deputy commissioner, Chamoli on dated 13.03.15 at time 11:00 AM at Gopeshwar in which application claiming rights in Gairan area measuring 1.627 hect for the construction of Malkot-Kalimati-Saira-Tiwakhark motor road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Kalimati-Saira- Tiwakhark sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar

Dated: 13-03-15


मिलाधिकारी
Deputy Commissioner-cum-Chairman
District Level Committee